कैबनिेट ने स्थानीय नकिायों में OBC आरक्षण दोगुना कयिा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में प्रतनिधितिव बढ़ाने के उद्देश्य से OBC आरक्षण में वृद्धि की है।
- **प्रमुख OBC आरक्षण में वृद्धि:**
  - सरकार ने पंचायत और शहरी नकिायों में OBC आरक्षण को **25% से बढ़ाकर 50%** कर दयिा है, जसिमें ज़लिा पंचायत अध्यक्ष और नगर नगिम महापौर जैसी भूमकिाएँ शामलि हैं, जबकयिह सुनश्चिति कयिा गया है कआिरक्षण जनसंख्या अनुपात के अनुरूप हो।
- **बहष्किरण की शर्त:**
  - **यह आरक्षण 50%** या उससे अधकि अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति आरक्षण वाले नकिायों पर लागू नहीं होता है।

भारत में आरक्षण को नयिंत्रति करने वाले संवैधानकि प्रावधान

- भाग XVI केन्द्रीय एवं राज्य वधािनमंडलों में **अनुसूचति जातयिों एवं अनुसूचति जनजातयिों** के आरक्षण से संबंधति है ।
- संवधिान के **अनुच्छेद 15(4) और 16(4)** राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति के सदस्यों के लयि सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षति करने का अधकिार देते हैं।
- संवधिान **(77वाँ संशोधन) अधनियिम, 1995** द्वारा संवधिान में संशोधन कयिा गया तथा **अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4A) जोड़ा गया,** ताकि सरकार पदोन्नति में आरक्षण प्रदान कर सके।
- बाद में, आरक्षण देकर पदोन्नत **अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति** के उम्मीदवारों को परणिामी वरष्ठिता प्रदान करने के लयि **संवधिान (85वें संशोधन) अधनियिम, 2001 द्वारा खंड (4A) को संशोधति** कयिा गया।
- संवधिान के **81वें संशोधन अधनियिम, 2000 द्वारा अनुच्छेद 16 (4B)** को शामलि कयिा गया, जो राज्य को कसिी वर्ष में अनुसूचति जातयिों/अनुसूचति जनजातयिों के लयि आरक्षति रक्तियिों को अगले वर्ष भरने का अधकिार देता है, जसिसे उस वर्ष की कुल रक्तियिों पर पचास प्रतशित आरक्षण की अधकितम सीमा समाप्त हो जाती है।
- **अनुच्छेद 330 और 332** क्रमशः संसद और राज्य वधािनसभाओं में अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के लयि सीटों के आरक्षण के माध्यम से वशिष्टि प्रतनिधितिव का प्रावधान करते हैं।
- **अनुच्छेद 243D** प्रत्येक पंचायत में अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के लयि सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 233T** प्रत्येक नगर पालकिा में अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के लयि सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **संवधिान के अनुच्छेद 335** में कहा गया है कि प्रशासन की प्रभावकारिता बनाए रखने के लयि अनुसूचति जनजातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के दावों पर वचिार कयिा जाएग

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cabinet-doublesobc-reservation-in-local-bodies